पत्रकारों से चर्चा करते व्यापारी नेता।

छोटे व्यापारियों की ज़रूरतों पर जारी होगा श्वेत पत्र : खण्डेलवाल

- देशभर में जन अदालतें लगाई जाएंगी
- गोलमेज सम्मेलनों में वित्तीय व बैंकिंग विशेषज्ञों की रायशुमारी से तय होगी नई नीति
- भारत सरकार को सौंपा जाएगा मसौदा

झाँसी : 'देश की अर्थ व्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। अगले दो माह में देश के अलग-अलग हिस्सों में जन अदालतें लगाई जाएंगी तथा गोलमेज सम्मेलन होंगे, जिसमें छोटे व्यापारियों की आवश्यकताओं को जाना जाएगा। विशेषज्ञों की रायशुमारी के बाद श्वेत पत्र जारी करते हुए भारत सरकार को सौंपा जाएगा।' यह जानकारी भामाशाह अवॉर्ड नाइट में शामिल होने आए कॉन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं ऐक्शन कमिटि फ़ॉर फ़ॉर्मल फ़ाइनेन्स फ़ॉर नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिज़नेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रवीण खण्डेलवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान और देश में सर्वाधिक रोज़गार देने वाले असंगठित क्षेत्र को कर्ज़ देने में बैंक और सरकार असफ़ल रही हैं। इसके बावजूद असंगठित क्षेत्र कॉरपोरेट सेक्टर से आगे निकल गया है। छोटे व्यापार की सुदृढ़ ऋण व्यवस्था के लिए वित्त मन्त्रालय, लघु एवं सूक्ष्म मन्त्रालय एवं रिज़र्व बैंक के अधिकारियों की एक कमिटि बनाने के लिए ऐक्शन कमिटि का गठन किया गया है, जो विभिन्न बिन्दुओं पर रायशुमारी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने बताया कि व्यापारियों की वित्तीय व ऋण सम्बन्धी परेशानियों को जानने के लिए देश के 30 जनपदों में जन अदालतें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही 10 गोलमेज सम्मेलन होंगे, जिनमें वित्तीय विशेषज्ञ, बैंकिंग विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठेंगे और असंगठित व्यापारियों के लिए नए वित्तीय ढाँचे का स्वरूप तय करेंगे। रायशुमारी के बाद श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जो ऐक्शन कमिटि के माध्यम से भारत सरकार को सौंपा जाएगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि ऐक्शन कमिटि में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया ट्रेडर्स, ऑल इण्डिया मोटर ट्रांस्पोर्ट कांग्रेस, ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स वीहीकल ऑर्गनाइज़ेशन समेत अनेक संगठन शामिल हुए हैं। कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन महेन्द्र शाह ने कहा कि नॉन कॉरपोरेट सेक्टर की ऋण ज़रूरतों को पिछली सरकार ने नजरअन्दाज़ किया है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने के लिए इस सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी ने कहा कि छोटे व्यापार का सेक्टर देश के लगभग 49 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जबकि इनमें से 4 प्रतिशत को ही बैंक्स से कर्ज़ मिल पाता है। कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने भी व्यापारी नीतियों में खामियाँ गिनाईं।

तबाह हो जाएंगे छोटे व मँझोले व्यापारी

व्यापारियों ने समाज को हमेशा एक सूत्र में बाँधने का काम किया है। शिक्षा, संस्कृति व परम्पराओं की विरासत बचाने में व्यापारियों का अहम योगदान रहा है। इसके बावजूद व्यापारियों पर उत्पीड़नात्मक क़ानून थोपे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा व मानक क़ानून ऐसा ही काला क़ानून है, जो छोटे व मँझोले व्यापारियों को समाप्त कर देगा। 4 अगस्त 2011 को लागू हुआ यह इतना जटिल क़ानून है कि व्यवसायी इसका पालन नहीं कर सकते हैं। कैट ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसकी पुनः समीक्षा करने की माँग की। कैट के दबाव में सरकार इसकी तारीख़ बढ़ाती रही है। अब 4 फरवरी 2015 तक पंजीकरण का समय दिया गया है। अगर, सरकार मौजूदा स्वरूप में इस क़ानून को लागू करती है तो पूरे देश में इसके विरोध में तीव्र आन्दोलन छेड़ा जाएगा।

■ **बीसी भरतिया**, राष्ट्रीय अध्यक्ष (कैट)

कर के लिए पूरे देश में एक क़ानून हो

सरकार देश में जीएसटी लाने जा रही है। व्यापारी इसके समर्थन में हैं, लेकिन अभी जो प्लैनिंग सरकार की है, उसका विरोध है। सरकार तीन प्रकार की जीएसटी लागू करने की तैयारी में है। सेण्ट्रल, स्टेट में अलग-अलग प्राविधान के साथ ही अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में जीएसटी के स्थान पर आइएसटी लागू की जा रही है। जीएसटी आना ज़रूरी है, लेकिन इसमें समान कर की व्यवस्था की जाए। देशभर में एक ही क़ानून हो और एक समान कर हो। क़ानून की जटिलताओं का सरलीकरण किया जाए। जब तक जीएसटी लागू नहीं होती है, तब तक वैट की विसंगतियों को समाप्त करना आवश्यक है। वर्ष 2008 में तत्कालीन वित्तमन्त्री पी. चिदम्बरम ने संसद में केन्द्रीय बिक्रीकर समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी की। इस घोषणा को तत्काल अमल में लाना चाहिए, क्योंकि यह संसद में दिया गया वचन है।

■ **प्रवीण खण्डेलवाल**, राष्ट्रीय महामन्त्री (कैट)

विदेशी कम्पनि के इशारे पर बना रोड एण्ड कैरी क़ानून

सरकार कई काले क़ानून के साथ रोड एण्ड कैरी क़ानून भी लागू करने जा रही है। यह क़ानून विदेशी कम्पनि के इशारे पर बनाया गया है। इसके तहत खाद्य सामग्री का परिवहन करने, मन्दिर के प्रसाद, अस्पताल, गोदाम व दुकान आदि में खाद्य सामग्री का स्टोरेज व बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना आसान नहीं होगा। इससे महँगाई का बोझ भी जनता पर पड़ेगा। इस क़ानून के लागू होने से पटरी पर खाद्य सामग्री बेचने वाले तबाह हो जाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर 1 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रविधान भी किया गया है। सुहागिन औरतों को खाद्य सामग्री के निर्माण में काम करने पर पाबन्दी भी इस क़ानून के तहत लगाई गई है। 2011 में इसे लागू किया गया, लेकिन कैट के विरोध के चलते पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई जा रही है। कैट की माँग है कि इस क़ानून का स्वरूप बदला जाए। सरकार ऐसा नहीं करती है, तो व्यापारी सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेगा। ■ **महेन्द्र भाई शाह**, राष्ट्रीय चेयरमैन (कैट)